SAI
भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय खेल प्राधिकरण
नराकास सचिवालय
दक्षिण दिल्ली – 2

फा.सं : भाखेप्रा/नराकास/3093/2026-27/761 दिनांक : 14.08.2026

विषय : 01अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की छमाही रिपोर्ट – समीक्षा ।

महोदय/महोदया,

कृपया अपने कार्यालय से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली – 2 का अध्यक्ष कार्यालय होने के नाते आपके कार्यालय से प्राप्त उपरोक्त अवधि की रिपोर्ट की समीक्षा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है :

1. **रिपोर्ट की मद संख्या 3** के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आपके कार्यालय से सभी 24 प्रलेखों द्विभाषीय रूप में निर्गत किए गए। कृपया भविष्य में भी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. **रिपोर्ट की मद संख्या 4** के अनुसार कार्यालय में प्राप्त हुए 2663 हिन्दी पत्रों में से 2508 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया है एवं 155 प्राप्त पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। कार्यालय में राजभाषा नियम-5 का पूर्ण अनुपालन सराहनीय है। उत्तर नहीं दिए जाने वाले अपेक्षित पत्रों की पावती भेजें।
3. **रिपोर्ट की मद संख्या 5** के अनुसार 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से प्राप्त हुए क्रमशः 310 एवं 93 कुल पत्रों में से 265 और 81 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया है और 05 एवं 04 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है जबकि 40 एवं 08 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। उत्तर नहीं दिए जाने वाले अपेक्षित पत्रों की पावती भेजे। चूंकि आपका कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित होने के कारण मूल पत्राचार शत प्रतिशत होना अनिवार्य है। आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
4. **रिपोर्ट की मद संख्या 6** के अनुसार आपके कार्यालय से 'क' क्षेत्र के साथ 99.48% पत्र व्यवहार हिन्दी में किया गया है। इसके साथ ही आपके कार्यालय द्वारा 'ख' क्षेत्र के साथ 97.94% तथा 'ग' क्षेत्र के साथ 95.01% पत्र व्यवहार राजभाषा हिन्दी में किया गया है जो कि सराहनीय है। हम आशान्वित है कि भविष्य में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को आप यथाशीघ्र प्राप्त कर लेंगे।
5. **रिपोर्ट की मद संख्या 7** के अनुसार आपके कार्यालय द्वारा कुल 1926 टिप्पणियों में से 1840 टिप्पणियाँ हिन्दी में तथा 86 टिप्पणियाँ अंग्रेजी में लिखी गई है। जो कि सराहनीय है इस निरंतरता को बनाएं रखें तथा भविष्य में सभी टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखना सुनिश्चित करें।
6. आपके कार्यालय द्वारा इस अवधि के दौरान 02 हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशालाओं में प्रशिक्षित 31 कार्मिकों को हिन्दी राजभाषा प्रयोग में अभ्यस्त रखने के उद्देश्य से उनसे हिन्दी पत्राचार का कार्य लिया जाना सुनिश्चित करें जिससे राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिले।

7. आपके कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठको का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है जो कि सराहनीय है। अनुरोध है कि भविष्य में बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निर्गत किए गए कार्यवृत्त की प्रति भी इस कार्यालय को प्रेषित करें।

अनुरोध है कि कार्यालयों में राजभाषा नीति कार्यान्वयन की दृष्टि से की गई समीक्षा के संदर्भ में आपके कार्यालय स्तर पर की गई सकारात्मक कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी , भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

सादर,

गी पाराशर
14/08/26

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)

सेवा में,

सहायक निदेशक,
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय,
उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (राजभाषा एकक)
पश्चिमी खंड - 7, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली – 110066

फा.सं : भाखेप्रा/नराकास/3093/2026-27 दिनांक :14.08.2026

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक, भाखेप्रा का कार्यालय
2. सचिव, भाखेप्रा का कार्यालय
3. कार्यकारी निदेशक (राजभाषा)
4. सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, त्रिकुट – II, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066
5. मास्टर फाइल

गी पाराशर
14/08/26

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)